

विविध

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	निजी जमा(वैयक्तिक लेखा खाता) निक्षेप के सही वर्गीकरण के संबंध में	सं० ए-1-258/दस-2000-10(2)/2000 दिनांक 09 फरवरी, 2000	521-522
2.	लोक लेखा के रख-रखाव के संबंध में	सं० 871/वि०अनु०-3/2003, दिनांक 28 अप्रैल, 2003	523-524
3.	विभिन्न विभागों में लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग का गठन एवं नियुक्ति हेतु अर्हता	सं० 201/xxvii(6)/2007 दिनांक 13 जुलाई, 2007	525-528
4.	भारतीय मुद्रा रूपये का प्रतीक चिन्ह ₹ का व्यापक प्रचार प्रसार करने संबंधी	सं० 443/xxvii(1)/2010, दिनांक 05 अगस्त, 2010	529-532
5.	कार्य संविदाकारों को भुगतान के समय TDS काटने हेतु TDAN(Tax Deduction A/C Number) आवंटित कराये जाने एवं वाणिज्य कर विभाग में रूपपत्र दाखिल करने के संबंध में लागू किये गये नये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में	सं० 10/स०वि०/2011 दिनांक 17 जनवरी, 2011	533-538
6.	सचिवालय अनुदेश 1982 में उल्लिखित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना	सं० 66/xxvii-1/2011, दिनांक 28 जनवरी, 2011	539-540
7.	कार्य नियमावली, 1975 के नियम-4(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	सं० 477/xxvii(1)/2011 दिनांक: 11 अगस्त, 2011	541-542

प्रेषक

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ, 09 फरवरी, 2000

विषय- निजी जमा (वैयक्तिक लेखा खाता) निक्षेप के सही वर्गीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए-1-2582/दस-2000-10(1)/99, दिनांक 18.01.2000 में यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि विधायक विकास निधि का संचालन शासनादेश संख्या-ए-1-1851/दस-99-10(1)/99 दिनांक 21.08.1999 के अनुसार लेखा शीर्षक "8448" स्थानीय निधियों की जमा, 120 अन्य निधियाँ के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) के वैयक्तिक लेखा खाता के माध्यम से किया जायेगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि प्रश्नगत मद की धनराशि किसी अन्य लेखा में रखी गयी है तो उसका अन्तरण उक्त लेखा शीर्षक में कर दिया जाय।

2- इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है यदि किसी जनपद में विधायक विकास निधि का संचालन लेखा शीर्षक "8443" सिविल जमा-106 निजी जमा" के अन्तर्गत डी0आर0डी0ए0 के वैयक्तिक लेखा खाते के माध्यम से पूर्व से ही किया जा रहा हो तो व्यवस्था तदनुसार ही बनाई रखी जाय। परन्तु वित्तीय वर्ष 1999-2000 की समाप्ति से पूर्व विधायक विकास निधि की धनराशि के डी0आर0डी0ए0 के वैयक्तिक लेखा खाते में लेखा शीर्षक "8448" स्थानीय निधियों की जमा 120 अन्य निधियों के अन्तर्गत अन्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के वैयक्तिक लेखा खाते कोषागारों में पूर्व से ही संचालित हो रहे हैं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएँ हैं जो स्थानीय निकाय के समूहक पृथक वित्तीय इकाई के रूप में कार्य करती हैं। इन संस्थाओं के कोषागारों में संचालित वैयक्तिक लेखा खाते 'बैंक खाते' की प्रकृति के हैं। अतः जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के वैयक्तिक लेखा खातों में उपरोक्त प्रस्तर-1 में अंकित लेखा शीर्षक "8448" स्थानीय निधियों की जमा-120 अन्य निधियाँ के द्वारा विधायक विकास निधि की धनराशि के संचालन हेतु महालेखाकार उ0प्र0 के प्राधिकार पत्र की अलग से आवश्यकता नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण वांछित है।

4- कृपया उपरोक्तानुसार डी0आर0डी0ए0 के वैयक्तिक लेखा खाता में विधायक विकास निधि की धनराशि के उपभोग का अलग हिसाब रखा जाय यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को शासन द्वारा स्वीकृत व उपरोक्त वैयक्तिक लेखा खाता के अन्तर्गत जमा धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में लैप्स नहीं होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सुशील चन्द्र त्रिपाठी)

प्रमुख सचिव।

संख्या ए-1-258(1)/दस-2000-10(2)/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक कोषागार उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कोषागार, उ0प्र0।
4. अपर निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशाल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिवालय के सम्बन्धित अनुभाग।

आज्ञा से,

(आर0के0 वर्मा)

संयुक्त सचिव

प्रेषक,

के.सी. मिश्र,
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,
सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून:: दिनांक :: 28 अप्रैल, 2003

विषय :: लोक लेखा के रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत के संविधान के अनुच्छेद-283 में समेकित निधि, राज्य आकस्मिकता निधि या अन्य धनराशि जो लोक लेखा में रखी जाती है उसके लिए इस अनुच्छेद के अधीन कोषागार नियम 1950 प्रकाशित किया गया था। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड भाग-1 में भी सामान्य जमा तथा स्थानीय निकायों के जमा की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। बजट मैनुअल के अध्याय-18 में राज्य के लोक लेखे पर स्पष्ट विवरण दिया गया है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक से लघु शीर्षक तक के विवरण रखे गये हैं। मुख्य लेखा शीर्षक 8338-ब्याज स्थानीय निधि जमा, 8448-स्थानीय निधि जमा एवं 8443 सिविल जमा 800 अन्य जमा के अधीन राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों का वैयक्तिक लेखा खोलने का पूर्ववती राज्य में आदेश निर्गत किया गया था। राज्य के लेखे का रख रखाव महालेखाकार द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथम बार उपरोक्त लेखा शीर्षकों के अधीन खोले गये वैयक्तिक लेखा का पूर्व विवरण लेखा प्राधिकारी के यहाँ होना आवश्यक है जिससे वैयक्तिक लेखा प्रशासक के लेखों का लेखा परीक्षण तथा उसके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। एक बार लेखा प्राधिकारी के यहाँ वैयक्तिक लेखा खुल जाने के पश्चात् उक्त लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत खोले गये वैयक्तिक लेखा के वर्षानुवर्ष नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती।

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम बार उपरोक्त श्रेणी के वैयक्तिक लेखों के खोलने पर महालेखाकार के औपचारिक सहमति की आवश्यकता होगी। बाद में इनके नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। शासकीय विभाग के लेखे जो मुख्य लेखा शीर्षक 8443-सिविल जमा- 106 निजी जमा के अधीन खोले

जायेंगे, 31 मार्च को उनका अवशेष शून्य हो जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसे निजी लेखे अगले वित्तीय वर्ष में पुनः पुनर्जीवित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

(के0सी0 मिश्र)

अपर सचिव

संख्या- 817(1)/वि0अनु0-3/2003 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।

2- समस्त कोषागार, उत्तरांचल।

आज्ञा से

(के0सी0 मिश्र)

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-6

देहरादून: दिनांक: 13 जुलाई, 2007

विषय- विभिन्न विभागों में लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग का गठन एवं नियुक्ति हेतु अर्हता।

महोदय,

शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1802/दस-34 (एम)-83 दिनांक 11 अगस्त 1983 एवं शासनादेश संख्या-450/XXVII(6)/2006 दिनांक 22 दिसम्बर 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 18-ए में स्पष्ट किया गया है कि विभाग में विशेषकर विभागाध्यक्ष स्तर पर लेखा संगठन का गठन किया जाय। परन्तु अब भी कतिपय विभागों में पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन कार्यवाही नहीं की गयी है। अनेक विभागों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों की शैक्षिक योग्यता एवं इन पर नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया क्या होगी। कृपया इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाय

- 1- सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के अधीन औपचारिक लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग सृजित करेंगे।
- 2- लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के पदनाम, वेतनमान एवं शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार होगी।

(क) लेखा संवर्ग:-

<u>पदनाम</u>	<u>वेतनमान</u>
1-सहायक लेखाकार	रु0 4500-7000

शैक्षिक योग्यता

बी0कॉम0 या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेवल का सर्टिफिकेट, जिसमें कम्प्यूटर पर 5000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।

2-लेखाकार	रु0 5500-9000
-----------	---------------

सहायक लेखाकार के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोन्नति द्वारा।

(ख) लेखा परीक्षा संवर्ग :-

<u>पदनाम</u>	<u>वेतनमान</u>
1-लेखा परीक्षक	रु0 4500-7000

शैक्षिक योग्यता

बी0कॉम0 या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेवल का सर्टिफिकेट, जिसमें कम्प्यूटर पर 5000 की डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होना आवश्यक है।

2-ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रु0 5500-9000
------------------------	---------------

लेखा परीक्षक के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोन्नति द्वारा।


उत्तराखण्ड राज्य में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अतः आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों जिन पर, विभागीय चयन समिति द्वारा, चयन किये जाने की व्यवस्था है। उन पदों पर चयन हेतु अनुसचिवीय (मिनिस्टीरियल) पदों के लिये निर्धारित

व्यवस्था है। उन पदों पर चयन हेतु अनुसंधानिक (मिनिस्टीरियल) पदों के लिये निर्धारित प्रश्न पत्र के अतिरिक्त बी०कॉम० स्तर के पाठ्यक्रम तथा कम्प्यूटर के "ओ" लेवल के सर्टिफिकेट स्तर का कम्प्यूटर विषयक 100 अंकों का एक अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसका मूल्यांकन उसी प्रकार किया जाएगा जैसा की सामान्य वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर पर टंकण की 50 अंकों की एक परीक्षा देनी होगी जिसमें 5000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की न्यूनतम गति होना अनिवार्य है।

लेखा एवं लेखा परीक्षक संदर्भ के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,


(सधा रतूडी)
सचिव।

o/c

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. अपर मुख्य सचिव
एवं अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव
एवं वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव
एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 05 अगस्त, 2010

विषय- भारतीय मुद्रा रूपये का प्रतीक चिन्ह ₹ का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महानिदेशक (मुद्रा निदेशालय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या-3/13/07.C.V.II दिनांक 26.07.2010 का अवलोकन करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा रूपये का प्रतीक चिन्ह ₹ अनुमोदित किया गया है जिसके व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाये जाने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि कृपया रूपये के उक्त प्रतीक चिन्ह ₹ का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया


(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या- 443 (1)/XXVII(1)/2010 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
02. मण्डलायुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल।
03. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
04. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. रजिस्ट्रार, मा0उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
07. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
08. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
09. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. मुख्य प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर/देहरादून।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,



(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

Bimal Julka, IAS

Director General (DOC)

बिमल जुल्का

महानिदेशक (मुद्रा निदेशालय)

Tel. : 91-11-23092881

Fax : 91-11-23094048

E-mail : dgcurrency.mof@nic.in



भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
अर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली-110001

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
New Delhi - 110001

Dated: 26.7.2010

D.O. No.3/13/07-CY.II

Dear Shri Nrip Singh Napaichyal,

I would like to inform you that the Government has approved the symbol for the Indian Rupee as depicted below.



2. In view of the above, I shall be grateful if you could kindly propagate and popularize the use of the symbol for the Indian Rupee in place of any symbol presently in use within your State/UT and to progressively discourage the use of regional language symbol for Indian Rupee, if any, so that a single symbol ultimately comes into use throughout the country.

With regards,

Yours sincerely,


(Bimal Julka)

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त प्रभारी अर्द्ध सरकारी विभाग /
समस्त प्रभारी स्थानीय निकाय / प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-8

दिनांक: देहरादून: जनवरी 17, 2011

विषय : कार्य संविदाकारों को भुगतान के समय TDS काटने हेतु TDAN (Tax Deduction A/c Number) आवंटित कराये जाने एवं वाणिज्य कर विभाग में रूपपत्र दाखिल करने के संबंध में लागू किये गये नये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वैट अधिनियम-2005 में विज्ञप्ति संख्या-331 दिनांक-06-10-2010 तथा वैट नियमावली में विज्ञप्ति संख्या 557 दिनांक 31-12-2010 के द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। संशोधित प्रावधान के अर्न्तगत आपसे सम्बन्धित निम्न प्रावधान भी निहित हैं। कृपया इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-


1. वैट अधिनियम की धारा-35 में जोड़े गये नये उप धारा-13 के अनुसार प्रत्येक उस "व्यक्ति" (जिसमें आपका विभाग भी शामिल हो सकता है) जो कार्य संविदाकारों को किये जाने वाले भुगतान में से TDS काट कर जमा करने के लिए उत्तरदायी है, को TDS काटने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग में एक TDAN (Tax Deduction Account Number) लेना अनिवार्य हो गया है।
2. TDAN आवंटित कराये बगैर टी0डी0एस0 नहीं काटा जा सकेगा और टी0डी0एस0 काटने और काटकर जमा न करने पर वैट अधिनियम की धारा-35 (8) के अर्न्तगत टी0डी0एस0 की राशि के दोगुने के बराबर अर्थदण्ड का प्रावधान है।

3. "TDAN" आवंटित कराने के लिये पहली TDS कटौती करने से 30 दिन पूर्व फार्म-1(B) (संशोधित में) वाणिज्य कर विभाग में अपने क्षेत्र के कर-निर्धारण अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा।
(नियम-21(1))
4. जो पूर्व से TDS कटौती करते रहे हैं, उन्हें प्रत्येक दशा में दि0 30 जनवरी 2011 से पूर्व "TDAN" आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र (फार्म-1(B) (संशोधित) में वाणिज्य कर विभाग में अपने क्षेत्र के "कर-निर्धारण अधिकारी" को देना होगा। (नियम-21(1))
5. TDS काटने वाले विभाग को वैट नियम-11 के अन्तर्गत फार्म-111(A) (संशोधित) में त्रैमासिक रिटर्न ऑन लाइन अथवा अन्य विधि से दाखिल करना है।
6. जहाँ तक TDS जमा करने का प्रश्न है, उसे पूर्व की भौति प्रत्येक माह ऑन लाइन अथवा अन्य विधि से जमा किया जाना है।
7. ध्यान दिये जाने योग्य है कि अपूर्ण अथवा बगैर अनुलग्नकों के रिटर्न अब स्वीकार नहीं होंगे और उन्हें "रूपपत्र" नहीं माना जायेगा।
8. रूपपत्र दाखिल करने में यदि विलंब होता है, तो विलम्ब के लिए 200/- (प्रति सप्ताह अथवा सप्ताह अंश) की दर से लैट फीस का भी प्रावधान किया गया है।
9. वैट धारा-35 की नयी उपधारा-13 के क्लॉज (4) के अनुसार यदि "TDAN" के आवंटन के लिए समय से प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है तो इस अपराध के लिए वैट धारा-58 के नये क्लॉज-37 के अन्तर्गत पहले तीन माह तक ---~~₹~~ 500/- (प्रति माह अथवा माह के अंश) की दर से एवं तीन माह से अधिक विलंब के लिए ₹1000/- (प्रति माह अथवा माह के अंश) की दर से अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है।
10. नियम-21 के उपनियम-6 के द्वारा संविदाकार को जारी किये जाने वाले टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट (प्रपत्र-8) में TDAN तथा संविदाकार का TIN अंकित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है कि इन संख्याओं को टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट (प्ररूप-8) में अवश्य दर्ज किया जाय, इसके बिना टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट (प्ररूप-8) मान्य नहीं होगा और संविदाकार का अनावश्यक उत्पीडन होगा।
11. वाणिज्य कर विभाग में दाखिल किये जाने वाले प्रत्येक रिटर्न एवं जमा के चालान में भी TDAN अंकित किया जाना अनिवार्य है।

12. नियम-21(6)(बी) के अनुसार ब्लैंक फार्म-8 (TDS Certificate) कर-निर्धारण अधिकारी से दो प्रतियों में प्राप्त किये जा सकेंगे, जिसमें से मूल प्रति संविदाकार को जारी की जाएगी।
13. त्रैमासिक रूपपत्र के अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पड़ने वाले 31 दिसम्बर तक नये निर्धारित फार्म-IVA में एक "वार्षिक रिटर्न" भी दाखिल करना होगा। इस वार्षिक रिटर्न को विलम्ब से दाखिल करने की दशा में ₹ 200/- (प्रति सप्ताह अथवा सप्ताह के अंश) की दर से लेट फीस का प्रावधान किया गया है।
14. वैट नियम/अधिनियम की विस्तृत जानकारी वेबसाइट - www.ua.nic.in/commercial_tax पर login करके प्राप्त की जाय।
15. प्रायः संविदाकारों को समय से टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट (प्ररूप-8) जारी नहीं किया जाता है और उन्हें आवश्यक विवरण भी उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, जबकि संविदाकारों को स्वयं भी ऐसे विवरणों/प्रमाण पत्रों के साथ अपना रिटर्न/वार्षिक रिटर्न वाणिज्य कर विभाग में दाखिल करना होता है। कृपया सुनिश्चित करें कि ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो।

कृपया संविदाकारों को भुगतान करने/टी0डी0एस0 काटने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वैट अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। अनुपालन न करने की दशा में यदि लेट फीस, अर्थदण्ड अथवा ब्याज वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी माना जायेगा।

भवदीय,


(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

FORM 1 - (B)

(See U.K. VAT rule (21))

AN APPLICATION FOR, FOR ALLOTMENT OF TDAN (TAX DEDUCTION A/C NUMBER U/S (35)

Affix passport sized attested photograph, with across signature of the applicant

10. The Assessing Authority, Commercial Tax
Sector _____ Circle _____

- 1-(a) Name of applicant: _____
- (b) Father's /Husband's name: _____
- (c) Residential address: _____
- (d) Status in business/ office/other institution: _____

2- CATEGORY (tick only one which is applicable)

- (a) Central Government Deptt.
- (b) State Government Deptt.
- (c) Local Authority
- (d) Autonomous body
- (e) Statutory body
- (f) Company (Govt.)
- (g) Company (Other)
- (h) Firm
- (i) Association of person (Trust/Club/Society)
- (j) Sole Proprietorship Concern/HUF (Karta)
- (k) Others

3 Name and address of the aforesaid CATEGORY _____

4-Designation of Person responsible for making payment and deducting Tax at source

5-(Registration Numbers, which is/are applicable)

- (a) PAN (Under I.Tax Act)
- (b) TAN (Under I.Tax Act)
- (c) TIN (Under UK Vat Act)
- (d) No. Under Companies Act

6- Tel.Ph.No. _____ Fax _____ e-mail _____

7- Details of banks with whom account is maintained or through which transactions are ordinarily carried on:

Sl. No.	Name of Bank	Branch address	Nature of Account	Account Number	Remarks
1-					
2-					

- 8- Documents to be enclosed :-
 a- Proof of registration numbers mentioned in para 5.
 b- Proof of Identity of the applicant.
 c- Proof of payment of fee/late fee.

DECLARATION

I, _____ (applicant) do hereby declare that the particulars furnished in this application are true and complete to the best of my knowledge and belief, and no material particular has been concealed.

Place : _____

Signature of the applicant _____

Dated: _____

Name : _____

Status in business _____

(SEAL)

WITNESS:

Signature (1) _____

(2) _____

Name: _____

Parentage: _____

Full address: _____

Signature and details of the person who has attested signature and photograph of the applicant

Signature: _____

Name: _____

Status: _____

(SEAL)

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग- 1

देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2011

विषय: सचिवालय अनुदेश, 1982 में उल्लिखित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 818/xxvii(1)/2009 दिनांक: 8 दिसम्बर, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सचिवालय अनुदेश 1982 के नियम 25 तथा 26(1) में यह व्यवस्था है कि ऐसे समस्त प्रस्ताव जिनमें राज्य के वित्त पर प्रभाव पड़ता हो, पर आदेश जारी किये जाने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जायेगा तथा वित्त विभाग के विचार प्रशासकीय विभाग के स्थायी अभिलेख में अंकित किये जायेंगे एवं वे मामले से सम्बन्धित पत्रावली के भाग होंगे।

कतिपय मामलों में यह अनुभव किया गया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा ऐसे प्रकरण, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित है, उनका निस्तारण वित्त विभाग को पत्रावली न भेजकर बैठकों के माध्यम से किया जा रहा है। यह प्रक्रिया सचिवालय अनुदेश के उक्त प्राविधान के अनुरूप नहीं है।

बैठकों के आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य केवल अन्वेषणात्मक प्रकृति (exploratory nature) का होता है, जिसमें सामूहिक रूप से विचार मंथन (brain storming) के आधार पर एक विभागीय मत स्थिर किया जाता है। बैठक में भाग लेने वाले वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदत्त मत को, वित्त विभाग का आधिकारिक अभिमत नहीं माना जाना चाहिए तथा इसका तदनुसार उपयोग/व्याख्या ऐसे निर्णयों को लेने में नहीं किया जा सकता है, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित हो। वित्त विभाग का आधिकारिक मत वही होगा जो प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर उनके प्रस्ताव के सन्दर्भ में अंकित किया गया हो। इस प्रकार बैठकों में वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर प्रकरण का निस्तारण उचित नहीं है।

स्पष्टतः वित्तीय उपाशय के किसी प्रकरण में बैठक में लिया गया निर्णय निर्धारित प्रक्रियानुसार पत्रावली पर वित्त विभाग का मन्तव्य प्राप्त करने का विकल्प नहीं हो सकता है। अतः जिन मामलों में प्रशासनिक विभाग की पत्रावली पर वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त करके निर्णय लिया जाना हो उनके सम्बन्ध में वित्त विभाग को पत्रावली सन्दर्भित करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये।

सचिवालय अनुदेश की व्यस्थानुसार उक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,


(सुभाष कुमार)

मुख्य सचिव।

संख्या- 66 /xxvii-1/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 11 अगस्त, 2011

विषय:- कार्य नियमावली, 1975 के नियम-4(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:- 54/xxvii(1)/2005 दिनांक: 15 जनवरी, 2005 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्य नियमावली, 1975 (Rules of Business) के नियम-4(2) के उप नियम क.ख.ग, तथा घ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया था। नियम 4 (2) की व्यवस्था निम्नवत् है:-

4(2)- जब तक कि मामला वित्त विभाग से दिये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय स्वीकृत करने या निधियों का विनियोग या पुनर्विनियोग करने की शक्ति से पूर्णतया समावृत न हो, तब तक कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति बिना कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा-

- जिससे राजस्व का परित्याग सन्निहित हो या कोई ऐसा व्यय सन्निहित हो जिसके लिये विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो,
- जिससे भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का अभ्यर्पण या खनिज या वनज या जलशक्ति अधिकार का अनुमोदन, अनुदान पट्टा या अनुज्ञप्ति या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई सुखाचार या विशेषाधिकारी सन्निहित हो,
- जो पदों की संख्या या श्रेणी, या किसी सेवा की सदस्य संख्या, या सरकारी सेवकों के वेतन या भत्ते या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य शर्तों से सम्बन्धित हो, जिसमें वित्तीय मामला निहित हो,
- जो अन्यथा वित्त से सम्बन्धित हो, चाहे उसमें व्यय सन्निहित हो या नहीं,

स्पष्टतः वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण भी जिनमें व्यय सन्निहित न हो परन्तु अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी नहीं किया जायेगा।

कार्य नियमावली की उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा पदों के सृजन, वेतनमान संशोधन/उच्चीकरण तथा राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि के अग्रिम आहरण तथा अन्य प्रकरणों जिनमें वित्तीय उपाशय निहित होता है पर वित्त विभाग के परामर्श एवं पूर्व सहमति के बिना माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। इससे जहां एक ओर कार्य नियमावली में उल्लिखित व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन लागू करने में कठिनाई होती है। उच्च स्तर से अनुमोदन के बाद यदि प्रस्ताव के औचित्य पर वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियम के परिवेश में सहमति दिया जाना सम्भव नहीं होता तब वित्त विभाग के समक्ष असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतः कार्य नियमावली के नियम 4(2) की व्यवस्थाओं के अनुरूप वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण जो अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श अनिवार्य रूप से पहले प्राप्त किया जाये।

भविष्य में उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्देशों का अनुपालन न किये जाने कि स्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार इसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या:- ⁴⁷⁷ /xxvii(1)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।